BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA, BHIWANI

Cert-35(A)

छात्र/ पिता/ माता और नामांकन/ आधार संख्या के नाम में सुधार के लिए आवेदन

(छात्र/छात्रा आवेदन स्वंय अपने हाथ से भरा जाए व हस्ताक्षर करें)

(कृपया पृष्ठ के पीछे दिए गए नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

1.

प्रमाण–पत्र अनुसार विवरण		जो सुधार छात्र चाहता है
नाम		
पिता का नाम		
माता का नाम		
एनरोलमेंट संख्या		
आधार संख्या		

2. परीक्षा का विवरण

परीक्षा	अनुक्रमांक	सत्र एवं वर्ष	संस्थान का नाम/ निजी/ ओपनस्कूल

3. त्रुटि का कारण (पूर्ण विवरण सहित).....

.....

दिनांक-_____

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन/प्रमाणन

4. विद्यालय के प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर के अनुसार छात्र का नाम _____ है। जन्म की तारीख_____माता का नाम_____पिता का नाम_____

अनुप्रमाण प्राधिकारी का नाम और पदनाम _____ मोबाइल :_____ ईमेल आईडी-_____	मोहर के साथ हस्ताक्षर (प्रमाणनप्राधिकारी)

5.मूल प्रमाण पत्र/ संशोधन के लिए संलग्न दस्तावेज- _____

_____

6. शुल्क राशि-_____ रसीद संख्या और दिनांक-_____

आवेदक का पता-_____ _____ पिनकोड-_____ मोबाइल-_____ ईमेल आईडी -_____	आवेदक का पता-_____ _____ पिनकोड-_____ मोबाइल-_____ ईमेल आईडी -_____

BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA, BHIWANI

नाम/पिता/माता के नाम में संशोधन सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. छात्र/पिता/माता के नाम में सुधार के लिए, छात्र को निर्धारित आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरकर संबंधित विद्यालय के प्रमुख से सत्यापित करवा कर सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा को आवेदन करना होगा।
2. जिन छात्रों ने इस बोर्ड से स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें निर्धारित आवेदन–पत्र को अन्त में अध्ययन किए गए विद्यालय के प्रमुख से सत्यापित करवा कर सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा को आवेदन करना होगा।
3. ओपन स्कूलिंग के उम्मीदवार के रूप में बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है और आवेदन को मान्यता प्राप्त संस्थान/सरकारी विद्यालय के प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
4. सभी उद्देश्यों के लिए निर्धारित संरचना के अनुसार निर्धारित शुल्क देय होगा। शुल्क किसी भी मामले में अप्रतिदेय है।
5. किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र या जिला शिक्षा अधिकारी/संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC) बोर्ड को स्वीकार्य होगा।
6. विदेशों में स्थित बोर्डों/विश्व विद्यालयों और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधन किया जाएगा।
7. मूल प्रमाण पत्र, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, यदि प्रार्थी प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं तो आवेदक को अनुलिपि प्रमाण–पत्र या इस आशय का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. जहां विद्यालय के रिकार्ड में माता का नाम उपलब्ध न होने की दशा में (जैसा कि विद्यालय के रिकार्ड में माता का नाम नही है।) वहां माता का जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे जबकि सशस्त्र बलों में नियोजित व्यक्तियों से संबंधित छात्रों के लिए सम्बन्धित कार्यालय/मुख्य कार्यालय के प्रमाणित पहचान पत्र के किसी भी अभिलेख के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा। प्रमाण के रूप में संबंधित कार्यालय/प्रधान कार्यालय स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि वह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो। इसके साथ ही परीक्षार्थी/अभिभावक को इस आशय का प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. यदि आवेदक आवेदन जमा करने के एक वर्ष के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो उसे रद्द/दायर(File) किया जाएगा, और यदि वह चाहता/चाहती है कि उक्त अवधि के बाद उसके आवेदन पर फिर से विचार किया जाए, तो उसे निर्धारित शुल्क व आवेदन पुनः जमा करना होगा। रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु आवेदक द्वारा बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्रों में एक समान संशोधन अनिवार्य होगा।
10. प्रार्थी के नाम/पिता/माता के नाम में प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्षों तक संबंधित परीक्षा शाखाओं द्वारा पूर्व की भांति विद्यालय रिकॉर्ड के आधार पर शुद्धि की जाए और इससे पूर्व जारी प्रमाण पत्रों में शुद्धि पर विचार प्रमाण पत्र शाखा द्वारा विद्यालय रिकॉर्ड (बिना किसी कटिंग के) अथवा सार्वजनिक दस्तावेज जैसे– जन्म प्रमाण पत्र/रिहायशी प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण पत्र/परिवार पहचान पत्र/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस में से कोई दो सार्वजनिक दस्तावेज निर्धारित प्रोफार्मा भरवाकर सम्बन्धित विद्यालय, जिसमें प्रार्थी द्वारा अन्तिम विद्यालय में पढ़ाई की हो, से सत्यापित करवाकर निर्धारित शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने उपरांत किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो , अभ्यर्थी के नाम में सुधार के संबंध में आवेदन पर विचार किया जाएगा बशर्ते की सुधार को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

नोटः- प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित कैप्शन का उल्लेख किया जाएगा- उम्मीदवार के नाम / माता का नाम / पिता का नाम/दस्तावेजों से जन्मतिथि में अस्वीकरण सुधार की अनुमति ..... से .....तक दिनांक ..... को पदधारी द्वारा वास्तविकता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र में सुधार करने के अनुरोध का समर्थन । न्यायालय के आदेश संख्या..... दिनांक ..... के अनुसार उम्मीदवार ने मिडिल / सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी / डी.एल.एड./एच.टी.ई.टी. प्रमाण पत्र में सुधार किया जा सकता है। कोई समय सीमा लागू नहीं है।

11. जहां नाम के उच्चारण में सुधार के बाद परिवर्तन नहीं होता है और इसे दो अलग–अलग शब्दों में लिखा जाता है, वहां किसी औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामले में, अपेक्षित शुल्क के साथ संबंधित स्कूल से केवल सिफारिशें ही पर्याप्त होंगी।
12. जहां एडमिट कार्ड में फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड फोटो और हस्ताक्षर में बदलाव के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगा।
13. नियमों में एकरूपता के लिए, प्रमाण पत्र में सुधार के लिए प्रमाण–पत्र जारी होने की तारीख के बाद तीन साल के भीतर संबंधित परीक्षा शाखा द्वारा विचार किया जाएगा। हालांकि, तीन साल के बाद प्रमाण पत्र शाखा द्वारा आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित स्कूल रिकॉर्ड में छेड़छाड़/ओवरराइटिंग न की गई हो।
14. जारी प्रमाण–पत्र में उम्मीदवार के नाम में उपनाम जोड़ने के लिए, पुरूष आवेदनकर्त्ता को सुधार के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना

होगा। इसके अलावा आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें उसका उपनाम दर्शाया गया हो।

क) महिला आवेदक को अपने उपनाम का उल्लेख करते हुए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथ–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा उसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अपने पिता का निवास प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिसमें उपनाम का उल्लेख हो। विवाहित महिला को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अपने पति का निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र जमा करना होगा जिसमें पति का नाम उपनाम अंकित हो।

ख) यदि बोर्ड द्वारा जारी कोई प्रमाण–पत्र उपनाम पहले से ही पिता के नाम के साथ मौजूद है तो वह उपनाम आवेदक के साथ जोड़ा जाएगा।

ग) उपनाम में सुधार के लिए आवेदन अभ्यर्थी द्वारा अंतिम बार शिक्षा प्राप्त विद्यालय के प्रमुख से भेजा जाना होगा।

15. परीक्षार्थी के माता/पिता के नाम के आगे संबोधन–स्वरूप (जैसे श्री/श्रीमती इत्यादि) को नियमानुसार शुल्क के साथ बिना किसी समय–सीमा के हटाने का भी निर्णय लिया गया।
16. उभयलिंगी अधिकार संरक्षण अधिनियम व नियम/विनियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा District Magistrate द्वारा पहचान के लिए जारी प्रमाण–पत्र (Certificate of Identity) फार्म 3, 4 व पहचान पत्र (Identity Card) फार्म 5, 6 अनुसार उपलब्ध करवाए जाने पर, यह दस्तावेज प्रार्थी के नाम, फोटो, हस्ताक्षर व लिंग में परिवर्तन करने का अधिकार है। उभयलिंगी अधिकार संरक्षण अधिनियम–2019 व 2020 इसके अतिरिक्त लिंग परिवर्तन के मामले में भी इसी अनुसार प्रार्थी के विवरणों में संशोधन/परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।
17. क) नियम और विनियमों के अनुसार पुराने प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए उचित सुधार के बाद बोर्ड नया प्रमाण पत्र जारी करेगा।

ख) आवेदक को प्रत्येक परीक्षा के लिये संशोधन हेतु 300/–रूपये प्रति संशोधन शुल्क के अतिरिक्त 800/– रूपये प्रति प्रमाण–पत्र (अधिकतम रू 1400/–) शुल्क एवं निम्नानुसार एक मुश्त जुर्माना राशि भी देय होगीः–

क्रम संख्या	प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से समयावधि	एक मुश्त जुर्माना शुल्क एवं शुद्धि शुल्क
1	प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष से अधिक समय से लेकर 06 वर्ष तक	शून्य + निर्धारित शुद्धि शुल्क
2	प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि से 06 वर्ष से अधिक समय से लेकर 09 वर्ष तक	रू 3000/– + निर्धारित शुद्धि शुल्क
3	प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि से 09 वर्ष से अधिक समय से लेकर 12 वर्ष तक	रू 6000/– + निर्धारित शुद्धि शुल्क
4	प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि से 12 वर्ष से अधिक समय से लेकर 15 वर्ष तक	रू 9000/– + निर्धारित शुद्धि शुल्क
5	प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि से 15 वर्ष से अधिक समय तक	रू 10000/– + निर्धारित शुद्धि शुल्क

नोटः–

1. पुनः जारी (Re-Issued)/शुद्धि उपरांत पुनः जारी किए जाने वाले प्रमाण–पत्र की कोई भी प्रति दस्ती (By Hand) लेने के लिए परीक्षार्थी को 500/– रूपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
2. यदि कोई आवेदक सेवा/नौकरी में कार्यरत है तथा जन्म–तिथि/नाम परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसके प्रमाण–पत्र में संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई आवेदक सेवा/नौकरी में कार्यरत नहीं है तो उससे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ–पत्र लेना होगा जिसमें लिखा होगा कि वह सेवा/नौकरी में कार्यरत नहीं है।

3. आवेदक के द्वारा आवेदन किए गए प्रमाण–पत्रों में प्रथम प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से जुर्माना राशि देनी होगी।

अन्य शर्तें बोर्ड के नियम/विनियमों, सरकार/शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप समय–समय पर हुए संशोधनों के अनुरूप रहेगी।